रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L.-(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अप्रैल 21—अप्रैल 27, 2013, शनिवार/वैशाख 1—वैशाख 7, 1935

No. 17] NEW DELHI, APRIL 21—APRIL 27, 2013, SATURDAY/VAISAKHA 1—VAISAKHA 7, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
संशोधन

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 93.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, अधिसूचना सं. सा.का.नि 300 दिनांक 12-12-2012 में प्रकाशित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में स्टोर्स अधिकारी के भर्ती नियम की अनुसूची के कॉलम 7 (i) के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन करते है :

निम्नलिखित के स्थान पर

कॉलम 7 (i) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष"।

ऐसा पढ़ा जाए

"मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि"

[फा. सं. 2/स्था./5/6/ई.सी./2007-पार्ट I]

टी. के. सतपथी, अवर सचिव

C.I (M/E) / MME

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (समूह "क") पद भर्ती नियम, 1992 को जहां तक उनका संबंध मुख्य अनुदेशक (समुद्री इंजीनियरी)/यांत्रिकी समुद्री इंजीनियर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग में केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची में मुख्य अनुदेशक (समुद्री इंजीनियरी)/यांत्रिकी समुद्री इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची में मुख्य अनुदेशक (समुद्री इंजीनियरी)/यांत्रिकी समुद्री इंजीनियर भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य अनुदेशक (समुद्री इंजीनियरी) यांत्रिकी समुद्री इंजीनियर	06* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	अचयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : **(क) समुद्री डीजल इंजनों, अनुषंगी पोत बोर्ड समुद्री यांत्रिक उपस्करों के प्रचालन, अनुरक्षण, दोष सुधार में पांच वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक इंजीनियरी या समुद्री इंजीनियरी या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिग्री।** **(ख) समुद्री इंजीनियरी अधिकारी पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य समुद्री विभाग द्वारा जारी वर्ग 2 (मोटर) सक्षमता प्रमाणपत्र और समुद्री इंजीनियर अधिकारी वर्ग 1 के रूप में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्व-** विद्यालय से स्नातक डिग्री किसी महासागरगामी पोत के समुद्री इंजीनियरी अधिकारी वर्ग 3 के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां **टिप्पण** : इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को ज्येष्ठ अनुदेशक (समुद्री इंजीनियरी) के पोषक वर्ग के अभ्यर्थी जो यांत्रिक या समुद्री इंजीनियरी से भिन्न इंजीनियरी डिग्री रखते हैं और जो तब विद्यमान भर्ती नियमों के आधार पर पोषक वर्ग के पदों पर सीधे भर्ती किए गए थे, भी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।	एक वर्ष

(7)

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय :

1. किसी मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या इंजीनियरी महाविद्यालय या पॉलिटेक्निक में अनुदेशक या यांत्रिक इंजीनियरी या समुद्री इंजीनियरी या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और (ii) 60% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति** : वेतन बैंड-3 में (15600-39100 रु.+ 5400 रु. ग्रेड वेतन में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले ज्येष्ठ अनुदेशक (समुद्री इंजीनियरी) या ज्येष्ठ अनुदेशक (नौसेना विन्यास) । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा । **प्रतिनियुक्ति** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या अर्द्धसरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी–

(11)
(क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश या पद धारण किया हुआ हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (मत्स्य), पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग —सदस्य 4. मत्स्य विकास आयुक्त, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय या किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)

5. महानिदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची	—सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए :–

1. संयुक्त सचिव (मत्स्य), पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग	—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग	—सदस्य
3. मत्स्य विकास आयुक्त, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग	—सदस्य
4. महानिदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची	—सदस्य

[फा. सं. 3-16/2009-एफवाई. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd April, 2013

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1992 in so far as they relate to the post of Chief Instructor (Marine Engineering)/Mechanical Engineer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession,the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Instructor (Marine Engineering)/Mechanical Marine Engineer) in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Argiculture, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi, Chief Instructor (Marine Engineering)/Mechanical Marine Engineer Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforsaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Instructor (Marine Engineering)/Mechanical Marine Engineer	06* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, ₹15600—39100 plus Grade Pay of ₹6600	Non- selection	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (a) Degree in Mechanical Engineering or Marine Engineering or Automobile Engineering from a recognised university or institution with five years experience in operation, maintenance, troubleshooting of marine diesel engines, auxiliaries, ship board marine mechanical equipments; or (b) Marine Engineering Officer Class II (Motor) Certificate of Competency issued by the Ministry of Shipping, Mercantile Marine Department and a Bachelor degree from a recognisd university with either one year expeience as Marine Engineer Officer Class I or three years experience as Marine Engineer Officer Class II or five years experience as Marine Engineer Officer Class III of an ocean going ship.	Age No. Educational Qualifications : Yes **Note** : The incumbents of the feeder grade post of Senior Instructor (Marine Engineering) who are in service as on the date of the commencement of these rules who possess an Engineering Degree other that Mechanical or Marine Engineering and were appointed on direct recruitment on the basis of the then existing Recruitment Rules of the feeder grade posts will also be eligible for promotion.	One year

(7)

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in wiriting, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

1. Two years' experience as Instructor or Lecturer of Mechanical Engineering or Marine Engineering or Automobile Engineering in a recognised training institute or engineering college or polytechnic.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
(i) 40% by promotion failing which by deputation (including short-term contract) and (ii) 60% by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	**Promotion** : Senior Instructor (Marine Engineering) or Senior Instructor (Naval Architecture) in Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400 with five years of regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qulifiying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their period of probation for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibitly service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation** : (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Universities or Semi Government or autonomous or statutory bodies :—

	(11)
	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-3 pay scale of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in ths same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications. **Note 3 :** For the purose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 3. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 4. Fishery Development Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment or appointing an officer on deputation (including short term contract).

(10)

5. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin —Member

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

1. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Chairman
2. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member
3. Fishery Development Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member
4. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi —Member

[F. No. 3-16/2009-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.